

परिशिष्ट -13

भूमि- भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

क्रमांक बाजस्व/2024/102
द्वारा तहसील/नगरपालिका/नगरनिगम/विकास प्राधिकरण

दिनांक 08-07-24

आसपुर

सेवामें
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र

स्वयंसेवा शिक्षण संस्थान आसपुर (समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जाच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. भूमि का पता : आसपुर

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर	—	—	—	—	4184/1066, 4617/1061, 4619/1062, 295, 1933/2, 1934/1, 1935, 1959/1
भूमि का वर्ग मीटर माप	—	—	—	—	1004, 1005, 1006, 285/1, 294, 300, 285/2, 285
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक /संस्थागत /आवासीय /वाणिज्यिक /कृषि भूमि	—	—	—	—	21300 वर्गमीटर 5.26 एकड़ शैक्षणिक

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या/संख्याओं की भूमि मौके पर एकटुक/सम्पत्त है। 1.5 km. के मध्य स्थित है।

स्वयंसेवा शिक्षण संस्थान आसपुर (समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

तहसीलदार आसपुर
(हस्ताक्षर, नाम व कार्यालय मोहर)

33

सम्बन्धित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

आसपुर